HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर	दिनाँक-28.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को अधिकतम 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 22/04/2005 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 309/05 धारा- 323, 504, 506 आईपीसी में अभियुक्त इमरान उर्फ बच्चा पुत्र इमाम निवासी ग्राम फतेहपुर थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अधिकतम 03 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।